न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–16/2018–19

प्रथम पक्षः– सरयु साव, ग्राम–खैरा, थाना–पत्थलगडा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः– राजेन्द्र यादव एवं अन्य, ग्राम–खैरा, थाना–पत्थलगडा, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–सरयु साव, पिता–स्व0 लालधारी साव, ग्राम–खैरा, थाना–पत्थलगडा, जिला–चतरा के विद्वान अधिवक्ता के अभ्यावेदन पर प्रारम्भ की गई है। इस वाद में विपक्षी राजेन्द्र यादव, पे0–दशरथ यादव, दशरथ यादव, पे0–स्व0 मंगर यादव, राजेश ठाकुर पे0–स्व0 निरंजन ठाकुर सभी साकिन–खैरा, थाना–पत्थलगडा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा
खैरा	12	88, 393, 315, 314, 531, 532, 491, 463, 412, 464	6.42 एकड़

आवेदक की ओर इस वाद की प्रक्रिया में लिखित कथन के माध्यम से यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि इनकी खतियानी भूमि है तथा खतियानी रैयत का नाम खेमन तेली है। खतियानी रैयत आवेदक के दादा लगते हैं। प्रश्नगत खाता के कुल–35 प्लॉट को मिलाकर कुल रकबा–18.70 एकड़ भूमि का लगान रसीद 2011–12 तक निर्गत हुआ है, परन्तु 6.42 एकड़ भूमि अथवा प्रश्नगत भूमि का डीमाण्ड अंचल कार्यालय से घटाकर विपक्षी के नाम कायम कर दिया गया है। इनके दादा की मृत्यु वर्ष 1964 में हो चुकी है, परन्तु उनके दादा के द्वारा बिक्री किये गये केवाला के आधार पर विपक्षी के नाम से जमाबन्दी कायम हुआ है, जिनकी जानकारी अभी हो रही है। इनका कथन है कि खेमन तेली ने मैनेजर महतो को केवाला कभी नहीं किया है। केवाला फर्जी है तथा जाली दस्तावेजों के आधार पर विपक्षी प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहें हैं।

दूसरी ओर इस वाद की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि यह बात सत्य है कि सर्वे खतियानी रैयत के नाम से कुल रकबा–18.70 एकड़ भूमि खतियान में दर्ज है, परन्तु कालान्तर में भूमि की बिक्री होती रही है तथा 6.42 एकड़ भूमि झमन महतो उर्फ झमन प्रजापति, पिता–हरदयाल महतो ने 10.07.1953 ई0 को क्रय किया था। कई लोगों के पास भूमि विक्रय के बाद 8.70 एकड़ भूमि अवशेष था, लेकिन प्रथम पक्ष ने एक पाई खींचकर 18.70 एकड़ का गलत ढंग से रसीद

Scanned with OKEN Scanner

दिखाकर अपने परिवार एवं पुत्र के नाम पर जाली केवाला कर लिया है तथा विपक्षीगण को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहें हैं।

द्वितीय पक्ष ने इस वाद की प्रक्रिया में आगे यह भी कहा है कि झमन महतो उर्फ झमन प्रजापति ने भी 6.42 एकड़ भूमि जहेली मसोमात को केवाला कर दिया था। जहेली मसोमात ने भी मोती साव, अकलु साव, सरजु साव तथा खेमन साव को वर्ष 1989 में यह जमीन केवाला कर दिया। बाद में भूत–बेताल के डर से सरजु साव, मोती साव, अकलु साव ने अपने–अपने अंश की भूमि पुनः जहेली मसोमात को रजिस्ट्री कर दिया। जब जहेली मसोमात की मृत्यु हो गई तब खेदन साव ने भी अपने अंश की भूमि जहेली मसो0 की पुत्री विद्या देवी को रजिस्ट्री कर दिया। द्वितीय पक्ष के सदस्यों ने विद्या देवी से हीं जमीन निबंधित केवाला से प्राप्त किया है। इनका कथन है कि राजेन्द्र यादव ने 0.40 एकड़, राजेश ठाकुर ने 0.40 एकड़, मोदी साव ने 0.52 एकड़, छत्रधारी साव ने 0.80 एकड, तारा देवी ने 0.60 एकड़, खेदन ठाकुर ने 0.12 एकड़ भूमि विद्या देवी से केवाला के माध्यम से प्राप्त किया है। सभी का मालगुजारी रसीद भी निर्गत हो रहा है। अपने दावे के समर्थन में द्वितीय पक्ष ने केवाला तथा मालगुजारी रसीद की छायाप्रति भी दाखिल किया है।

इस प्रकार उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गये लिखित कथन तथा राजस्व कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह मामला केवाला की वैधता को लेकर है। प्रथम पक्ष खतियान के आधार पर द्वितीय पक्ष का केवाला को अवैध मानते हैं, जो सिविल प्रकृति का मामला है। अतः केवाला की वैधता को लेकर प्रथम पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/7/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

27/7/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 15:01:33 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner